न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.
वाद संख्या 73/2021
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम
एवं 136 एल. आर. एक्ट

जसपाल कौर उर्फ हरदयाल कौर पुत्री श्री करतार सिंह पत्नी अवतार सिंह निवासी गांव कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर वर्तमान पता– वार्ड संख्या 6 गांव बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)। ....**वादीया**

ब ना म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
2. अंग्रेज सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जट सिख निवासी वार्ड सं0 11 गांव कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरमीत सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड सं0 11 गांव कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. बलतेज सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड सं0 11 गांव कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. राजकुमार पुत्र रामचन्द निवासी 126 जाखड कालोनी श्रीगंगानगर।
6. शाखा प्रबंधक ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा नगर परिषद श्रीगंगानगर।

....**प्रतिवादीगण**

उपस्थित–	श्री मुकेश कुमार हरलालानी	(अधिवक्ता वादीया)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी– 1)
	श्री सुरेश कुमार अरोडा	(प्रतिवादी– 5)

दिनांक: 31 अक्टूबर, 2025

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादीया के नाम से चक 4 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 106/124 के मुरब्बा नम्बर 35 में कुल 3.1010 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि के मुश्तरका खाता में 517/3101 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि वादीया को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के साथ–साथ स्वर्गीय श्री करतार सिंह से विरासतन रूप से प्राप्त हुई थी तथा बाद विरासतन इंतकाल वादीया के नाम से जमाबन्दी में दर्ज हुआ है। वादीया का पीहर गांव कालियां में है तथा पीहर में वादीया का नाम जसपाल कौर था इसलिये जमाबन्दी में जब विरासतन इंतकाल दर्ज हुआ तो वादीया का नाम जसपाल कौर अंकित हो गया। लेकिन वादीया की शादी अवतार सिंह के साथ होने के बाद वादीया का नाम ससुराल बोलांवाली (हनुमानगढ़) में हरदयाल कौर रखा गया। इसलिये वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] कौर के स्थान पर हरदयाल कौर पुत्री करतार सिंह अंकित करवाने की घोषणा [illegible] है। वादीया के आधार कार्ड संख्या– 3500734922[illegible], भारत निर्वाचन [illegible] पहचान पत्र [illegible] 006722401330 अन्य प्रमाण संख्या– आर जे/01/005/504342, राशन कार्ड संख्या– [illegible] अवतार सिंह [illegible] अंकित है, की समस्त पत्रों में वादीया का नाम हरदयाल कौर पत्नी अवतार सिंह [illegible] अंकित है, की समस्त पत्रों में वादीया का नाम हरदयाल कौर पत्नी अवतार सिंह अंकित है। वादी को उसके पिता की मृत्यु के बाद फोटो प्रतियां संलग्न वाद पत्र की गई है। वादी को उसके पिता की मृत्यु के बाद विरासतन इन्तकाल पटवारी हल्का से दर्ज करवाने के समय उक्त लिपिकीय त्रुटि का ज्ञान हुआ जिससे वाद पत्र अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है। वादीया ने उक्त जमाबन्दी की नकल दिनांक 16.07.2021 को प्राप्त हुई तो वादीया को ज्ञान हुआ है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:33 IST
Reason: SelfAttested

बिना देरी किये वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीया अनपढ व औरतजात होने के कारण वादीया को उक्त तथ्य का पूर्व में ज्ञान नहीं हो सका है। वादीया का नाम जसपाल कौर से हरदयाल कौर दुरूस्ती से अन्य मुश्तरका खाता के सह–काश्तकारों के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। जमाबन्दी में सह काश्तकार मुकन्द कौर का स्वर्गवास हो चुका है तथा मुकन्द कौर के वारिस वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 है। वादग्रस्त कृषि भूमि 4 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित है जो कि श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः वाद वादी पेश करके निवेदन है कि वादी के हक में निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे– चक 4 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 106/124 के मुरब्बा नम्बर 35 में कुल 3.1010 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि के मुश्तरका खाता में 517/3101 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 में वादीया का नाम जसपाल कौर के स्थान में हरदयाल कौर अंकन किया जाने का आदेश प्रदान कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। अन्य अनुतोष जो न्यायालय न्यायोचित समझे वादी को दिलाया जावे।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 05.05.2022 को पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021, कैम्प ग्राम पंचायत कालियां में पेश हुई जिसमें वादीया द्वारा प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

दिनांक 08.07.2022 को वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 द्वारा साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये जिरह साक्ष्यवादी प्रस्तुत की गई। प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 के शपथ पत्र अनुसार उक्त प्रतिवादीगण वादीया जसपाल कौर उर्फ हरदयाल कौर पुत्री करतार सिंह पत्नी अवतार सिंह निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर वर्तमान गावं बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ को जानते है तथा वादीया उक्त प्रतिवादीगण की बहन है। चक 4 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 106/124 के मुरब्बा नम्बर 35 में कुल 3.1010 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि के मुश्तरका खाता में 517/3101 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम जसपाल कौर के स्थान पर हरदयाल कौर किया किया जाता है तो उक्त प्रतिवादीगण के हित किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे तथा उक्त नाम दुरूस्ती हेतु प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 की पूर्ण सहमति है।

तहसीलदार भू. अ., श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 23.07.2024 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार राज्य हित को ध्यान में रखते हुये निर्णय किया जाना उचित होगा।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत उसका वादीया के आधार कार्ड संख्या– 350073492220, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र संख्या– आर जे/01/005/504342, वादीया के पति अवतार सिंह का राशन कार्ड (संख्या– 006722401330) भी बना हुआ है जो कि गांव बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ के पते का है। उक्त सभी दस्तावेजात में वादीया का नाम हरदयाल कौर पत्नी अवतार सिंह निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ दर्ज है। तथा सरपंच ग्राम पंचायत बोलांवाली, पंचायत समिति [illegible] जिला हनुमानगढ द्वारा जारी प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार हरदयाल कौर पत्नी अवतार सिंह तथा जसपाल कौर पुत्री करतार [illegible] है। इसके साथ ही जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 चक 4 वाई पटवार हल्का कालियां भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 106/124, रजिस्ट्रार कालियां गंगानगर द्वारा दिनांक 02.12.2020 को जारी मुकन्द कौर (जो कि वादीया की माता है) का मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत कालियां द्वारा पुस्तक संख्या 2 कम संख्या 32 से दिनांक 20.06.2002 को जारी वादीया के पिता करतार सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत कालियां द्वारा दिनांक 02.10.2009 को जारी करतार सिंह की वारिस प्रमाण पत्र तथा चक 4 वाई पटवार हल्का कालियां भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:33 IST
Reason: SelfAttested

शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा जारी इंतकाल सख्या 728 दिनांक 29.07.2025 का अवलोकन किया गया।

अतः अभिलेखिये साक्ष्यों एवं रिपोर्ट तहसीलदार भू0 अ0, श्रीगंगानगर के अनुसार वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया है।

आदेश

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम एवं 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाकर वादीया का नाम चक 4 वाई पटवार हल्का कालियां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 106/124 के मुरब्बा नम्बर 35 में कुल 3.1010 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि के मुश्तरका खाता में 517/3101 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें वादीया का नाम जसपाल कौर के स्थान में **जसपाल कौर उर्फ हरदयाल कौर पुत्री करतार सिंह** दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति हो तो वह पूर्वानुसार रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 31.10.2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:33 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वाद संख्या 73/2021
अर्न्तगत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम
एवं 136 एल. आर. एक्ट

जसपाल कौर उर्फ हरदयाल कौर पुत्री श्री करतार सिंह पत्नी अवतार सिंह निवासी गांव कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर वर्तमान पता– वार्ड संख्या 6 गांव बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)। **....वादीया**

ब ना म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
2. अंग्रेज सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जट सिख निवासी वार्ड सं0 11 गांव कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरमीत सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड सं0 11 गांव कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. बलतेज सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड सं0 11 गांव कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. राजकुमार पुत्र रामचन्द निवासी 126 जाखड कालोनी श्रीगंगानगर।
6. शाखा प्रबंधक ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा नगर परिषद श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री मुकेश कुमार हरलालानी	(अधिवक्ता वादीया)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी– 1)
	श्री सुरेश कुमार अरोडा	(प्रतिवादी– 5)

दिनांक: 31 अक्टूबर, 2025

वाद संख्या 73/2021
अर्न्तगत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम
एवं 136 एल. आर. एक्ट

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर द्वारा वादीया अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार हरलालानी, प्रतिवादी संख्या [illegible] के अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार अरोडा व पैरोकार राज प्रतिवादी– 01 की उपस्थिति में आदेश पारित किया जाता है कि – वादीया का नाम चक 4 वाई पटवार हल्का [illegible] भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 106/124 के मुरब्बा नम्बर 35 में कुल 3.1010 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि के शतरका खाता में 517/3101 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें वादीया का नाम जसपाल कौर के स्थान में **जसपाल कौर उर्फ हरदयाल कौर पुत्री करतार सिंह** दर्ज किया जावे। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य..... प्रतिशत वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को डिक्री जारी की गयी.

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर एवं,
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर एवं,
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:33 IST
Reason: SelfAttested